# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–09 / 2017........................... जिला ........सिरोही..................................................................

**उनवान :** मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेंट प्रा0 लिमिटेड, सिरोही

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली एवं अपीलीय प्राधिकारी, वाणि. कर, जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **<u>खण्डपीठ</u><br><u>श्री के. एल. जैन, सदस्य</u><br><u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u>** | |
| **24 / 03 / 2017** | अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2346 / 2016 / सिरोही में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.12.2016 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री एम. एल. पाटौदी ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 08.12.2016 के द्वारा निर्णय प्राप्ति से तीन माह की अवधि के लिये स्थगन दिया गया था, जिसकी अवधि मार्च माह में पूरी हो रही है, किन्तु अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रकरण, का निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होने के कारण स्थगन की अवधि आगामी तीन माह तक बढ़ाई जावे।<br><br>बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा द्वारा प्रकरण में स्थगन की अवधि बढ़ाये जाने का विरोध करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2346 / 2016 / सिरोही में पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 द्वारा दिये गये स्थगन की अवधि को **दिनांक 08.06.2017** तक बढ़ाया जाता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 08.06.2017 तक प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।<br><br>**सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर**<br><br>**सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर** | |